

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स० 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 1972/पौष 27, 1893

No. 23]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 1972/PAUSA, 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 17th January 1972

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (First Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944,—

(a) in rule 2, after clause (ii), the following shall be inserted namely:—

“(iia) “Appellate Collector” means—

(a) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Bombay; Collector of Customs and Central Excise, Goa; Collector of Central Excise, Poona; Collector of Central Excise, Baroda; Collector of Central Excise, Ahmedabad, and Collector of Central Excise, Nagpur except in

relation to an order of decision of an officer of Central Excise posted in the State of Madhya Pradesh, the Appellate Collector of Central Excise, Bombay;

- (b) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Delhi; Collector of Central Excise, Chandigarh; Collector of Central Excise, Allahabad; Collector of Central Excise, Kanpur and in relation to an order or decision of an officer of Central Excise posted in the State of Madhya Pradesh and subordinate to the Collector of Central Excise, Nagpur, the Appellate Collector of Central Excise, Delhi;
 - (c) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Calcutta and Orissa; Collector of Central Excise, West Bengal; Collector of Central Excise, Shillong and Collector of Central Excise, Patna, the Appellate Collector of Central Excise, Calcutta;
 - (d) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Madras; Collector of Central Excise, Madurai; Collector of Customs and Central Excise, Cochin; Collector of Central Excise, Mysore; Collector of Central Excise, Hyderabad and Collector of Central Excise, Guntur, the Appellate Collector of Central Excise, Madras.”
- (b) for rule 213 the following shall be substituted, namely:—

“213. *Appeals*.—An appeal against an order or decision of an officer shall lie:

- (i) if the appeal is against an order or decision of an officer of Central Excise lower in rank than a Collector of Central Excise, to the Appellate Collector of Central Excise;
- (ii) if the appeal is against an order or decision of a Collector of Central Excise, to the Central Board of Excise and Customs:

Provided that if, between the date of the order or decision appealed against and the date of final decision on the appeal, the officer who passed the order or decision is appointed as the Appellate Collector to whom the appeal lies, the appeal shall be decided by the Central Board of Excise and Customs or an officer of or above the rank of Appellate Collector nominated for such purpose by the Central Board of Excise and Customs.”

[No. 11/72.]

S. K. DHAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बांसा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 30(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 होगा ।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) नियम 2 में खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii क) कलक्टर (अपील) से,—

(क) मध्यप्रदेश राज्य में तैनात किए गए किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में के सिवाय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मुम्बई; केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गोआ; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पूना; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, बहोदा; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, अहमदाबाद, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), मुम्बई;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, दिल्ली; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, चण्डीगढ़; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, इलाहाबाद; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कानपुर; के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में और मध्यप्रदेश राज्य में तैनात किए गए और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), दिल्ली;

(ग) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कलकत्ता और उड़ीसा; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पश्चिमी बंगाल; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, शिलांग, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, पटना, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), कलकत्ता;

(घ) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मद्रास; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मद्राई; केन्द्रीय सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क कलक्टर, कोचीन; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मैसूर; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, हैदराबाद और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, गुंटुर, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील), मद्रास;

अभिप्रेत है।”

(ख) नियम 213 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“213. अपील किसी अधिकारी के किसी आदेश या विनिश्चय के प्रति अपील :

(i) यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से निम्नतर पंक्ति के किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के प्रति अपील हो, तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर (अपील) को होगी;

- (ii) यदि किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के किसी आदेश या विनिश्चय के प्रति अपील हो, तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड को होगी।

परन्तु यदि जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश या विनिश्चय की तारीख और अपील पर अन्तिम विनिश्चय की तारीख के बीच, वह अधिकारी, जिसने आदेश पारित किया था या विनिश्चय दिया था कलक्टर (अपील) के रूप में, जिसे अपील होती है, नियुक्त किया गया हो, तो ऐसी अपील का विनिश्चय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा या—कलक्टर (अपील) की पंक्ति में या उससे उच्चतर पंक्ति के ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित किया गया हो।”

[सं० 11/72]

एस० के० धर, अवर सचिव,